रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 78] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 1972/फाल्गुन 27, 1893
No. 78] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 1972/PHALGUNA 27, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE,
(Department of Food

ORDER

New Delhi, the 17th March 1972

G.S.R. 194(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Southern States (Regulation of Export of Rice) Order, 1964, namely.—

1. (1) This Order may be called the Southern States (Regulation of Export of Rice) Amendment Order, 1972.

(2) It shall come into force at once.

2. In clause 3A of the Southern States (Regulation of Export of Rice) Order, 1964, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely:—

"*Explanation.*—For the purposes of this clause, 'border area' means the area within the five mile belt inside a specified area and adjoining another specified area".

[No. 204(SRZ)(1)/80/72-PY.II.]

A. K. MAJUMDAR, Joint Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 मार्च 1972

सा० का० नि० 194(अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार दक्षिण-राज्य (चावल निर्यात का विनियमन) आदेश, 1964 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देती है अर्थात् :—

1. (1) यह आदेश दक्षिण-राज्य (चावल निर्यात का विनियमन) संशोधन आदेश, 1972 कहा जा सकेगा ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. दक्षिण-राज्य (चावल निर्यात का विनियमन) आदेश, 1964 के खण्ड 3क में स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण:—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, 'सीमा-क्षेत्र' से किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अन्दर 5 मील की पट्टी के अन्तर्गत क्षेत्र और अन्य विनिर्दिष्ट क्षेत्र से मिला क्षेत्र अभिप्रेत है ।"

[सं० 204(एस० आर० जेड०) (1)/80/72-पी वाई० II]

ए० के० मजूमदार, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972.